न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2023-336RAAJodhpur2023-143RTA225 Nandkishor Vs Karansingh etc

01. नन्दकिशोर पुत्र श्री शांतिप्रकाश जाति अग्रवाल, निवासी- सिविल लाईन्स, मेड़ता सिटी, तहसील मेड़ता सिटी, जिला नागौर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

01. करणसिंह पुत्र जतनसिंह जाति राजपूत
02. नारायणसिंह पुत्र जतनसिंह जाति राजपूत,
03. प्रेमसिंह पुत्र जतनसिंह जाति राजपूत,
    सभी निवासीगण- ग्राम बोरूंदा, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर ग्रामीण, राजस्थान।
04. भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर, तहसील कार्यालय पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर ग्रामीण, राजस्थान।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 11 अगस्त 2023 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 130/2023 नन्दकिशोर बनाम करणसिंह इत्यादि

उपस्थित-

श्री जयदेवसिंह चारण, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री अजीत दैया, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक से तीन
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या चार

निर्णय

दिनांक : 23 जनवरी 2024

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 130/2023 अनवान नन्दकिशोर

23.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बनाम करणसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 11 अगस्त 2023 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 24 अगस्त 2023 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 2254/3 रकबा 2.4270 हैक्टेयर ग्राम भाखरो की ढाणी तहसील पीपाड़ शहर के संबंध धारा 53 व 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत किया। वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर वाद के विचारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 11 अगस्त 2023 के जरिये प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट एवं रेस्पोडेंट्स की सहखातेदारीसुदा एवं कब्जा सुदा आराजी है, जिस पर अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन काबिज है तथा अपने उपयोग-उपभोग में लेते आ रहे है तथा वादग्रस्त आराजी में अपीलांट का 1/2 हिस्सा तथा रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन प्रत्येक का 1/6 दर्ज है। वादग्रस्त आराजी का बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स पक्षकारान् के मध्य बंटवाड़ा नहीं हुआ है। अपीलांट ने कई बार रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन को विधिवत बंटवाड़े के लिए निवेदन करने पर उन्होंने मना कर दिया। इसलिए वादग्रस्त आराजी का बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स बंटवाड़ा करवाने का कानूनन अधिकारी है। वादग्रस्त आराजी मौके की स्थिति के अनुसार कीमती है तथा वर्तमान में जमीनों की कीमते बहुत बढ जाने से रेस्पोडेंट्स संख्या एक से तीन आये

23.1.25

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दिन अपीलांट के काश्त में दखल अंदाजी पैदा करनी शुरु कर दी। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में है। रेस्पोडेंट विधिनुसार बिना विभाजन करवाये वादग्रस्त आराजी के मौके की कीमती भूमि पर निर्माण कार्य, बेचान, अथवा अपीलांट को वादग्रस्त भूमि में काश्त कार्य नहीं करने दिया व अपीलांट को जबरन मौके पर से बेदखल कर दिय तो अपीलांट को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में कभी भी नहीं की जा सकेगी। रेस्पोडेंट्स द्वारा विचारण न्यायालय में अपने जवाब में वादग्रस्त आराजी की गलत तरमीम होने का कथन किया है, जबकि वास्तविकता एवं सच्चाई यह है कि राजस्व नक्शे में मौके पर वास्तविक वादग्रस्त आराजी के रकबा की ही वर्षो पूर्व तरमीम हुई, यदि उक्त तरमीम वास्तव में गलत होती तो रेस्पोडेंट्स संख्या एक से तीन तक अवश्य ही राजस्व नक्शे में हुई उक्त तरमीम को चैलेंज कर निरस्त करवाने की कार्यवाही करते, किंतु रेस्पोडेंट्स द्वारा ऐसी कोई भी कार्यवाही इस तरमीम को निरस्त करवाने हेतु आज दिन तक नहीं की गई। विचारण न्यायालय द्वारा तथाकथित जांच रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलाधीन आदेश प्रसारित किया है, उस मौका जांच फर्द का वास्तविक रूप से व विधिवत रूप से अवलोकन किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश प्रसारित कर दिया है जो कि सर्वथा विधिविरुद्ध व महत्वहीन है। उक्त मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 11.08.2023 में संबंधित जांचकर्ता द्वारा तथ्य वर्णित किये गये है कि ''भाखरों की ढाणी के खसरा नं. 2254/3 के मौके पर जांच बाबत पहुंचे'' से प्रमाणित है कि वादग्रस्त आराजी की उक्त तरमीम वास्तविक रूप से सही है तथा उक्त तरमीम वाली भूमि पर कृषि भूमि है, उसी तरमीम के आधार पर जांचकर्ता वादग्रस्त आराजी पर मौके पर पहुंचे। वास्तविकता व सच्चाई यह है कि वादग्रस्त आराजी पर मौके पर

23.1.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कोई पुराना खनन कार्य नहीं हुआ है तथा संबंधित जांचकर्ता राजस्व निरीक्षक बोरुंदा व हल्का पटवारी भाखरों की ढाणी ने अपनी उक्त फर्द मौका में यह नहीं बताया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 2254/3 की राजस्व नक्शा में तरमीम गलत हुई है। वादग्रस्त आराजी की किस्म बारानी चतुर्थ है तथा खसरा गिरदावरी संवतः 2077-2079 में वादग्रस्त आराजी पर मूंग की फसल बोया जाना वर्णित है, जिससे साबित है कि वादग्रस्त आराजी कृषि योग्य है तथा मौके पर कोई खनन कार्य नहीं हो रहा है। राजस्व नक्शा में की हुई उक्त तरमीम तथा खान व भू-विज्ञान विभाग द्वारा रेस्पोडेंट संख्या दो नारायणसिंह के पक्ष में जारी तथाकथित पट्टा रेस्पोडेंट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपने जवाब के साथ पेश माईनिंग लीज से संबंधित राजस्व नक्शा के आधार पर वर्णित उक्त नजरी नक्शा में लोकेशन वर्णित से संबंधित भूमि भाग तथा राजस्व नक्शा में तरमीम में भिन्नता है, जिसकी लोकेशन अनुसार प्रमाणित है कि वादग्रस्त आराजी की उक्त तरमीम राजस्व नक्शा में पूर्णरूप से सत्य व सही है, किंतु रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन की नियत में खोट आने से वादग्रस्त आराजी पर माईनिंग लीज के बहाने गैर-कानूनी रूप से कब्जा करना चाहते है तथा माईंनिंग लीज से संबंधित नजरी नक्शा अनुसार मौके पर माईनिंग विभाग द्वारा जारी किये गये डिमार्केशन से संबंधित दस्तावेज पर रेस्पोडेंट संख्या दो नारायणसिंह स्वयं के हस्ताक्षर है। यह भी उल्लेखनीय है कि रेस्पोडेंट संख्या दो नारायण सिंह को 20 वर्ष की अवधि के लिए लीज प्रदान की गई है जो दिनांक 06.02.2015 को समाप्त हो चुकी है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य अपीलाधीन आदेश दिनांक 11 अगस्त 2023 को खारिज फरमाया

23.1.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जावे एवं अपीलांट के पक्ष में एवं रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन के विरुद्ध यह अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे कि राजस्व मूल वाद विचाराधीन समय तक ग्राम भाखरों की ढाणी के खसरा नं. 2254/3 रकबा 2.427 हैक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ में रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन तक अपीलांट के हिस्सा मुताबिक किये जाने वाले कब्जा व काश्त तथा उपयोग व उपभोग में किसी भी प्रकार से कोई भी दखलंदाजी न तो स्वयं पैदा करे तथा न ही किसी अन्य से भी कोई भी दखलंदाजी पैदा करावे तथा वादग्रस्त कृषि भूमि को किसी भी प्रकार से खुर्द-बुर्द, रद्धोबल नहीं करे तथा न ही किसी भी प्रकार से निर्माण कार्य करे एवं वादग्रस्त आराजी का किसी भी प्रकार से <u>बेचान/हस्तांतरण</u> नहीं करे तथा रेस्पोडेंट संख्या चार को यह आदेश फरमाया जावे कि राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाई रखी जावे। वकील अपीलांट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में धारा 161 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की प्रति, आर. आर.डी.1989 पेज450, आर.आर.टी.2009(1) पेज 226, आर.आर.टी.2023(10) पेज 197 राज. एच.सी., आर.एल.डब्ल्यू. 1959 पेज 381, आर.आर.टी.2003(2) पेज 1253 पैरा (11), आर.आर.डी.1983 पेज 712, आर.आर.डी.2012 पेज 455, आर.आर.टी.2009(1) पेज 255 राज. एच.सी., 2022(2)डी.एन.जे.(रेव.)पेज 1287, धारा 140 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 2002(3)डी.एन.जे. (राज.)पेज 1055, आर.आर.टी. 2003(1) पेज 516, आर.आर.डी.1995 पेज 644, आर.आर.डी.1998 पेज 206 राज. एच.सी., आर.आर.डी. 1999 पेज 420, आर.आर.डी. 2020 पेज 309, आर.आर.टी.2023(2) पेज 1022 राज. एच.सी., आर.आर.टी.2011(2) पेज 861 राज. एच.सी., आर.एल.डब्ल्यू. 1997(2) पेज 968, ए.आई. आर.1954 एस.सी. पेज 340, आर.आर.डी. 2009 पेज 787, आर.आर.डी. 1989 पेज 525, ए.आई.आर. एस.सी. पेज 719 की न्यायिक नजीरे पेश की।

23.1.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक से तीन ने अपनी लिखित बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए सुस्पष्ट विधिक प्रावधानों के तहत विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अपीलार्थी का कथन है कि प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलार्थी की भूमि में दखल-अंदाजी करना आरम्भ कर दिया तथा अपीलांट की कृषि भूमि को खुर्द-बुद करना शुरु कर दिया जो निहायत ही गलत एवं बेबुनियाद है, जबकि वास्तविकता यह है कि अपीलार्थी ने खसरा नं. 2254 के ऑनलाईन नक्शे में की गई गलत तरमीम के आधार पर प्रत्यर्थी संख्या दो नारायणसिंह को वर्ष 1984 में खान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा जारी एक खनन पट्टा संख्या 23/1984 बमाप 300X300 मीटर स्वीकृत कर प्रत्यर्थी संख्या दो को उक्त खसरे की पट्टासुदा भूमि का खान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा लैंगिट्यूड एवं लेटिट्यूड के अनुसार डिमार्केशन कर प्रत्यर्थी संख्या दो नारायणसिंह को उक्त भूमि का कब्जा सुपुर्द कर दिया गया था, तभी से निर्बाध रूप से काबिज है तथा उक्त पट्टासुदा भूमि पर लाईम स्टोन कार्य कर रहा है। प्रत्यर्थी संख्या दो को जब उपरोक्त वर्णित भूमि का खनन पट्टा जारी किया गया था, तब खसरा नं. 2254 की राजस्व नक्शा लट्ठा में तरमीम नहीं दर्शाई हुई, जो कि प्रत्यर्थी संख्या-दो द्वारा दिनांक 26.03.2019 को उक्त खसरे की प्राप्त प्रमाणित प्रतिलिपि से भी बखुबी स्पष्ट है। लेकिन अभी हाल ही में राजस्व कर्मचारियों द्वारा खसरा नं. 2254 की बिना मौका जांच, बिना सहखातेदार के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा हुए तथा बिना किसी सक्षम न्यायालय के बंटवाड़ा आदेश, अपनी मनमर्जी से खसरा नं. 2254 की राजस्व नक्शे में तरमीम अंकित कर दी गई है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा अपनी मनमर्जी से की गई खसरा नं. 2254 की तरमीम

23.1.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

के आधार पर ही अपीलार्थी खसरा नं. 2254/3 का बंटवाड़ा करवाना चाहता है, जबकि उक्त खसरे के सहखातेदारान् मौके पर भिन्न-भिन्न जगह पर काबिज है। प्रत्यर्थीगण द्वारा कभी भी अपीलार्थी की कृषि भूमि के कब्जा-काश्त में दखल-अंदाजी कर उसे खुर्द-बुर्द करने का प्रयास नहीं किया गया है, बल्कि उल्ट अपीलार्थी ने जब राजस्व कर्मचारियों द्वारा की गई खसरा नं. 2254 की गलत तरमीम के आधार पर प्रत्यर्थी संख्या दो की पट्टासुदा खनन भूमि में अतिक्रमण कर कब्जा करना चाहा, तब प्रत्यर्थी संख्या-दो के पुत्र हनुवंत सिंह द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध पुलिस थाना बोरुंदा में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 137/2023, दिनांक 22.08.2023 को दर्ज करवायी गई थी। इस प्रकार यदि प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलार्थी के कृषि भूमि के संबंध में किसी भी प्रकार की दखलंदाजी, बेचान अथवा निर्माण का प्रयास किया गया है तो, प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही करने की स्थिति ही उत्पन्न नहीं होती। हल्का पटवारी द्वारा मौका रिपोर्ट में स्पष्ट रुप से उल्लेखित किया है कि मौके पर खनन कार्य किया हुआ है, जिससे स्पष्ट है कि उक्त विवादित भूमि कृषि भूमि न होकर, प्रत्यर्थी संख्या दो को आवंटित खनन भूमि है तथा जिस पर अपीलार्थी का कब्जा काश्त नहीं है। इस प्रकार विवादित भूमि जब कृषि भूमि है ही नहीं तथा न ही अपीलार्थी का उस पर कब्जा काश्त है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का यह कथन कि, प्रथमदृष्टया मामला, एवं सुविधा का संतुलन अपीलार्थी के पक्ष है, निहायत ही मनगढंगत एवं बेबुनियाद है। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि जब प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति का प्रश्न प्रार्थी के पक्ष में न हो तो वह न्यायालय से किसी भी प्रकार की स्थाई अथवा अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता है। ऐसी स्थिति में राजस्व विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत

23.1.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

की गई गलत तरमीम के आधार पर प्रत्यर्थी संख्या दो की पट्टासुदा खनन भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। जहां तक अपीलांट का कथन है कि प्रत्यर्थीगण द्वारा गलत तरमीम के विरुद्ध आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं की गई, इस संबंध में निवेदन है कि जैसे ही प्रत्यर्थीगण को गलत तरमीम की जानकारी हुई, उसे दुरुस्त करवाने के लिए प्रत्यर्थीगण की ओर से राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 252/2023 बअनवान नारायणसिंह बनाम राजस्थान राज्य वगैरह माननीय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर के समक्ष प्रस्तुत कर रखा है, जो कि वर्तमान में भी माननीय विचारण न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। इस प्रकार जब तक माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत तरमीम दुरुस्ती के प्रार्थना पत्र का माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निस्तारण नहीं कर दिया जाता है, तब तक उक्त गलत तरमीम की आड़ में अपीलार्थी को प्रत्यर्थी संख्या- दो की खनन भूमि पर कब्जा करने की अनुमति जरिये अस्थाई अथवा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती है। अपीलांट का कथन है कि वादग्रस्त आराजी की किस्म परिवर्तन नहीं हुई है, किंतु यहां पर वादग्रस्त आराजी की किस्म का विवाद नहीं होकर कर्मचारियों द्वारा अपनी मनमर्जी से राजस्व नक्शें में बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश से की हुई गलत तरमीम का विवाद है। यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा ऐसी कोई रिपोर्ट अथवा दस्तावेज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे स्पष्ट हो कि प्रत्यर्थी संख्या दो को आवंटित भूमि तथा विवादित कृषि भूमि की लोकेशन खनन भूमि से भिन्न-भिन्न है। अपीलांट का उक्त कथन भी बेबुनियाद है कि प्रत्यर्थी संख्या दो को आवंटित माईनिंग लीज की अवधि समाप्त हो चुकी है, जबकि प्रत्यर्थी संख्या दो द्वारा नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात

23.1.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा लीज की अवधि को वर्ष 2035 तक विस्तारित कर दिया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों एवं 2019(2)आर.आर.टी. पेज 777 के मुताबिक संयुक्त भूमि के सहखातेदारान् के विरुद्ध किसी भी प्रकार की स्थाई अथवा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है और न ही किसी सहखातेदार द्वारा अन्य सहखातेदार के विरुद्ध व्यादेश की मांग की जा सकती है। ऐसी स्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्धारक तीनों बिंदु अपीलांट के पक्ष में साबित नहीं होने तथा विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत पारित किये जाने से अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में ससमान अवलोकन किया गया। उपलब्ध अभिलेख जमाबंदी संवतः 2075-2075 ग्राम भाखरों की ढाणी तहसील पीपाड़ शहर के अवलोकन मुताबिक वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 2254/3 रकबा 2.4270 हैक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ उभय पक्ष की संयुक्त खातेदारी की भूमि है, जिसमें अपीलांट का 1/2 हिस्सा तथा रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन प्रत्येक का 1/6 निहित है। अपीलांट का कथन है कि वादग्रस्त आराजी कृषि योग्य भूमि है, गिरदावरी अनुसार मूंग की फसल बोई हुई थी। प्रत्यर्थी संख्या दो नारायणसिंह द्वारा अपने पक्ष में खान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा जारी लीज जो वर्ष 2015 में समाप्त हो चुकी है, की आड़ में अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि में दखलंदाजी कर रहा है। वही रेस्पोडेंट्स का कथन है कि मूल खसरा नं. 2254 का विधिवत आपसी

23.1.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सहमति अथवा किसी सक्षम न्यायालय के आदेश से बंटवाड़ा नहीं होकर राजस्व कर्मचारी द्वारा ऑनलाईन की कार्यवाही के दौरान की गई तरमीम है, जिसमें बिना किसी आधार के मूल खसरा नं. 2254 को बट्टा नंबर में विभाजित कर मौके के विपरीत तरमीम अंकित कर दी है, जबकि रेस्पोडेंट संख्या दो के पक्ष में जारी लीज में बकायता सेटेलाईट से डिमार्केशन करते हुए 300X300 वर्गमीटर भूमि का पट्टा जारी किया गया है तथा उक्त पट्टा की अवधि वर्ष 2035 तक है। रेस्पोडेंट्स के कथन है कि उक्त ऑनलाईन गलत तरमीम की दुरुस्ती हेतु सहायक कलक्टर पीपाड़ शहर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है, की ताईद पत्रावली पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 व 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की प्रति एवं खान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा जारी पट्टे से होती है। किंतु यह भी उल्लेखनीय है कि लीज मे दी गई भूमि के खसरा नंबर का अंकन नहीं किये जाकर उनकी देशांतरीय एवं अक्षांशीय स्थिति को बताया गया है तथा वादग्रस्त आराजी की किस्म परिवर्तित नहीं होकर कृषि योग्य/बारानी चतुर्थ है।

उभय पक्ष की बहस एवं उपलब्ध दस्तावेज से प्रमुखतः यह तथ्य सामने आया है कि मौके पर वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 2254/3 एवं उनके बट्टा नंबरान् की तरमीम को लेकर विवाद है तथा वादग्रस्त आराजी का बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन होना है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त कृषि भूमि के विभाजन के वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी के मौके की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो तथा पक्षकारान् में मौके पर विवाद न बढे इसलिए प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो के आलोक में वादग्रस्त आराजी को संरक्षित किया जाना न्याय हित में उचित है। लिहाजा प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष मे पाये जाते है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ

23.1.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नहीं होने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11 अगस्त 2023 अपास्त किया जाता है तथा विचारण न्यायालय में मूल वाद के निस्तारण तक उभय पक्ष को पाबंद किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 2254/3 रकबा 2.4270 के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23.1.24

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर